

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

पार्थी

जीवा

दिनांक 12/7

किरम मुकदमा

979

पत्रावली संख्या 10/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	संग
26.604	<p>पत्रावली केस है। बादी अधिवक्ता अधिलेखी बादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। उम्मत लाने समय ले संशोधित वाद प्रेषा अने हेतु नियत है। बादी उपरोक्त नहीं होने ले जाहिर है कि वे अपने वाद के फल में भी नहीं है न्यायालय द्वारा कठ-कठ कर कई बार आवाज लगाव है बावजूद उम्मेद उपस्थित नहीं होने ले जाहिर है कि वह अपना वाद चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>अतः बादी का वाद अदिमा 9 जियफ 8 के तहत अस्त एवमप-अस्त प्रेषा के अंगेज किया जागा है। जियाय लेउअराफ सुनाया गया।</p> <p>प्रकरण के फल शुमा होडा मम्बर ले का है।</p>	हस्तासूचना

(रिमासवा)  
IAS